

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02/ 118 /स्थाना0(उ0प्रा0)/2015-16, दिनांक 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(पति-पत्नी) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(क)(पति-पत्नी) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नाथीराम पाल	रा0उ0प्रा0वि0 तेलीवाला	डोईवाला	C	रा0उ0प्रा0वि0 नार्हीकला	रायपुर	E

Daba

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-02/ 1858-57 /स्थाना0(उ0प्रा0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

OTC

Daba
21.7.15

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।


कार्यालय—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)—01 / 119 / स्थाना0(उ0प्रा0) / 2015—16, दिनांक 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ग)(गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनीषा डोभाल	रा0उ0प्रा0वि0 हरिपुर	कलसी	C	रा0उ0प्रा0वि0 नकरौंदा	डोईवाला	B	
2	लता देवी	रा0उ0प्रा0वि0 भलेर	विकासनगर	E	रा0उ0प्रा0वि0 जस्सोवाला	विकासनगर	B	औपबन्धिक



 (पदमेन्द्र सकलानी)
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
 देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)—02 / 1858-65 / स्थाना0(उ0प्रा0) / 2015—16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

D/C


 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
 देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02/ 120 /स्थाना0(उ0प्रा0)/2015-16, दिनांक 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शिक्षक) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(च)(विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4		5	6	
1	बीना रानी	रा0उ0प्रा0वि0 डिमिच	चकराता	F	रा0उ0प्रा0वि0 रायवाला गांव	डोईवाला	

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-02/ 1866-73 /स्थाना0(उ0प्रा0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

o/c

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02 / 121 / स्थाना0(उ0प्रा0) / 2015-16, दिनांक 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(Y क्षेत्र से Y क्षेत्र हेतु) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ज)(Y से Y हेतु) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शक्ति प्रसाद बडोनी	रा0पू0मा0वि0 गास्की	कालसी	D	रा0उ0प्रा0वि0 सतेली	रायपुर	F

(पदमेन्द्र सक्लानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-02 / 1074-01 / स्थाना0(उ0प्रा0) / 2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोंपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

O/C

(पदमेन्द्र सक्लानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02 / 122 / स्थाना0(उ0प्रा0) / 2015-16, दिनांक : 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(विकलांग शिक्षक) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ख)(विकलांग शिक्षक)अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुशील कुमार काला	रा0उ0प्रा0वि0जैन्दोउ	कालसी	E	रा0उ0प्रा0वि0 गुमानीवाला	डोईवाला	B

M. K. S.

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-02 / 1882-89 / स्थाना0(उ0प्रा0) / 2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

o/c

M. K. S.

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय—जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-02/ 123 / स्थाना0(उ0प्रा0)/2015-16, दिनांक 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(से0नि0 में तीन वर्ष या उससे कम)स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ड)(से0नि0 में तीन वर्ष या उससे कम अवधि शेष वाले शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4800 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनूप सिंह	रा0पू0मा0वि0 खनकाण्डी	कालसी	E	रा0उ0प्रा0वि0 तिमली	विकासनगर	C
2	राजकुमार सैनी	रा0पू0मा0वि0 बडेरना	रायपुर	E	रा0उ0प्रा0वि0 नवादा	रायपुर	B
3	राजा राम भट्ट	रा0प्रा0वि0 दार्मिगाड	चकराता	E	रा0उ0प्रा0वि0 बापूग्राम	डोईवाला	B

(Handwritten Signature)
(पदमेन्द्र सक्लानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-02/ 1896-97 / स्थाना0(उ0प्रा0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(Handwritten Signature)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।